

संचालनालय आयुष, म०प्र०
(भूतल "डी" विंग सतपुडा भवन, भोपाल-462004)

www.mp.gov.in/dismh

E-mail:-sthapna3ayush.mp@mp.gov.in

Azadi Ka
Amrit Mahotsav

Office (0755),2571187
Fax (0755)2760225, 2764438

क्रमांक / एफ-

/ 2024 / 1-स्था.

भोपाल, दिनांक 30/05/2024

- सूचना पत्र -

प्रदेश में रिक्त जिला आयुष अधिकारी पद का प्रभार जिले के वरिष्ठ आयुष चिकित्सकों फिडिंग केंडर के अन्तर्गत दिया जाकर उनसे जिला आयुष अधिकारी पद का प्रशासकीय कार्य संपादित कराया जाता है।

1. उक्त प्रभार संबंधी कार्य चिकित्सकों द्वारा अपने कार्य के साथ-साथ कराये जाने हेतु संचालनालय पृथक-पृथक संशोधित आदेश जारी किये गये हैं। जिसके परिपेक्ष्य में चिकित्सकों को अव्यवसायिक चिकित्सा भत्ता की पात्रता नियमानुसार नहीं बनती है।
2. इस संबंध में कई जिलों में कनिष्ठ चिकित्सकों से प्रभार हटाकर वरिष्ठ चिकित्सकों को प्रभार अपने कार्य के साथ-साथ दिया गया है।

अतः प्रभार हटाने के संबंध में एवं NPA के संबंध में किसी व्यक्ति के द्वारा कोई याचिका प्रस्तुत की जाती है तो शासन पक्ष सुनने से पूर्व कोई भी निर्णय न किये जाने के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर, खण्डपीठ, ग्वालियर एवं खण्डपीठ इन्दौर में केविएट दायर की जा रही है।

(सोनाली पोक्षे वायंगणकर)

वि.क.अ.सह आयुक्त

आयुष म.प्र.